पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1380

==========

रवि रंजन, पुत्र श्री माहेश्वरी गराइन, निवासी मोहल्ला- अलकापुरी कॉलोनी, भगवानपुर चौक, थाना-भगवानपुर, जिला-मुजफ्फरपुर,पिन-842001।

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय श्री विष्णु वाणिज्यिक परिसर राष्ट्रीय राजमार्ग 30, नई बाई पास में बी. पी. राजमार्ग सेवा पेट्रोल पंप अशोचक, पटना 800030 के पास अपने अध्यक्ष के माध्यम से है।
2. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष का मुख्य कार्यालय बी. पी. राजमार्ग सेवा पेट्रोल पंप अशोचक, पटना 800030 के पास नई बाईपास श्री विष्णु वाणिज्यिक परिसर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ।
3. महाप्रबंधक (डी. ए. सी) मुख्य कार्यालय दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक श्री विष्णु वाणिज्यिक परिसर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में नई बाईपास के पास बी. पी. राजमार्ग सेवा पेट्रोल पंप अशोचक, पटना 800030।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए : श्री डी. के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता,

श्री अभिनय राज अधिवक्ता,

श्री अलेक्जेंडर अशोक, अधिवक्ता

सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

उत्तरदाता/उत्तरदातागण के लिए : श्री महेश नारायण पर्वत, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री प्रवीण प्रभाकर, अधिवक्ता

==========

सेवा कानून–बर्खास्तगी– *याचिकाकर्ता को आरोप का ज्ञापन दिया गया था; उन्होंने अपना कारण बताओ प्रस्तुत किया–दस्तावेजों को साबित किए बिना उनके खिलाफ सभी आरोप लगाए गए–याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रदान किए बिना विभागीय जाँच आगे बढ़ाई गई–अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने सुनवाई का अवसर दिए बिना और याचिकाकर्ता के बचाव पर विचार किए बिना बर्खास्तगी का आदेश पारित किया–अपीलीय प्राधिकारी ने भी सजा के आदेश की पुष्टि की–केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप मूल प्राधिकारी के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी से भी पाया गया याचिकाकर्ता ने ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया है, और उचित तरीके से बैंक के हितों की रक्षा नहीं की है - अपराधी ने कथित आरोपों से खुद का बचाव करने के लिए दस्तावेजों की मांग की थी; लेकिन उन दस्तावेजों को प्रदान नहीं किया गया है, इसके बजाय बैंक ने केवल एक दस्तावेज प्रदान किया है और इस न्यायालय के समक्ष एक दलील दी है कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी विशिष्ट दस्तावेज की मांग नहीं की गई थी, जो स्पष्ट रूप से गलत है*

सजा आदेश** बैंक **को निर्देश के साथ अपास्त,**– बैंक* आरोपित याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान करने के बाद ही विभागीय कार्यवाही जारी रखने के लिए स्वतंत्र होगा और छह महीने के भीतर कार्यवाही को समाप्त करेगा - *याचिका की अनुमति दी गई **(पैरा 15, 16)

2022 (2) पी.एल.जे.आर. (एस.सी.) 196–**निर्भर किया गया**

2000 (3) पी.एल.जे.आर. 64–**संदर्भित किया गया**

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम माननीय श्री न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक न्यायादेश

तिथि: 01-02-2024

श्री डी. के. सिन्हा, विद्वान वरिष्ठ वकील जो श्री अभिनय राज, श्री अलेक्जेंडर अशोक एवं सुश्री आकांक्षा मालवीय याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा सहायता प्राप्त थे,श्री महेश नारायण पर्वत, विद्वान वरिष्ठ वकील जो श्री प्रवीण प्रभाकर, उत्तरदाता के विद्वान वकील द्वारा सहायता प्राप्त थे को सुना - दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (इसके पश्चात "बैंक" के रूप में संदर्भित)|

2. वर्तमान रिट याचिका दिनांक 31.12.2018 के आदेश की बर्खास्तगी की पुष्टि करते हुए,अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.09.2019 (अनुलग्नक-12) एवं दंडनीय आदेश दिनांकित 31.12.2018 (अनुलग्नक-11) को रद्द करने के वास्ते दायर की गई है|

3. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैंक में स्केल II अधिकारी के रूप में 22.09.2012 को नियुक्त किया गया था और वर्ष 2013 में, विशेष रूप से 27.07.2013 को, उन्हें शाखा प्रबंधक, लोदीपुर, बिहार शरीफ, नालंदा के रूप में तैनात किया गया था। इसके बाद, 16.05.2016 को, उन्हें शाखा प्रबंधक मुख्य शाखा बिहार शरीफ, नालंदा के रूप में तैनात किया गया और बाद में, 31.05.2017 को, याचिकाकर्ता को क्षेत्रीय कार्यालय, भभुआ, कैमूर में तैनात किया गया। याचिकाकर्ता को दिनांकित 29.03.2018 पत्र के माध्यम से आरोप ज्ञापन दिया गया था जिसमें उसके खिलाफ 33 अलग-अलग आरोप लगाए गए थे

और उक्त आरोप ज्ञापन के जवाब में, याचिकाकर्ता ने अपना कारण बताओ दिनांकित 07.04.2018 प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को 05.05.2018 को भी एक अतिरिक्त आरोप ज्ञापन दिया गया था और उसके बाद 22.05.2018 के आदेश के अनुसार, उसे निलंबित कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी आरोप दस्तावेज प्रदान किए बिना लगाए गए थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दिनांकित 01.06.2018 पत्र के माध्यम से शाखा प्रबंधक, बिहारशरीफ के रूप में किए गए काम के लिए कुछ विशिष्ट दस्तावेजों की मांग की है, लेकिन याचिकाकर्ता को दस्तावेज़ प्रदान नहीं किया गया था। फिर से, दिनांकित 18.07.2018 के पत्र के माध्यम से, उन्होंने कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ उक्त दस्तावेजों की मांग की, लेकिन उन दस्तावेजों को भी उन्हें प्रदान नहीं किया गया और उन दस्तावेजों को प्रदान किए बिना विभागीय जांच आगे बढ़ी। विभागीय कार्यवाही में, कुछ आरोप साबित हुए, कुछ आरोप आंशिक रूप से साबित हुए और दो आरोप गलत साबित हुए।

5. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि दूसरे कारण बताएँ के जवाब में, याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है और फिर से उसे दस्तावेज प्रदान नहीं करने का मुद्दा उठाया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि अनुलग्नक-11 में संलग्न दंड आदेश केवल उसके बचाव के दस्तावेजों को प्रदान नहीं करने के कारण पारित किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने केवल उपलब्ध सामग्री के आधार पर बचाव किया है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने सुनवाई का अवसर दिए बिना और याचिकाकर्ता के बचाव पर विचार किए बिना बर्खास्तगी का आदेश पारित किया, जिसे निम्नानुसार निकाला गया हैः

"उपर्युक्त निरीक्षण /निष्कर्ष के आलोक में मैं यह भी पाता हूँ कि आरोपी अधिकारी के द्वारा बैंक की सेवा ईमानदारी से एवं निष्ठापूर्वक नहीं करने, बैंक के हितो के प्रतिकूल कार्य कर बैंक हित को क्षतिग्रस्त करने और सेवा विनियम के 17,18,20,23 एवं 36 के बिरुद्ध आचरण करने का आरोप प्रमाणित हैं।"

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष सजा के उक्त आदेश को चुनौती दी है और अपीलीय प्राधिकरण ने मामले के इस पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है, कि आरोप ज्ञापन के ठीक बाद याचिकाकर्ता ने अपने बचाव के लिए विशिष्ट दस्तावेज की मांग की है, साथ ही कारण बताए दस्तावेज की भी मांग की है और सजा की पुष्टि करते हुए आदेश पारित किया है।

7. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि मूल प्राधिकरण के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण के निष्कर्ष से, बैंक को किसी भी वित्तीय नुकसान का कोई आरोप नहीं है। एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया और उचित तरीके से बैंक के हितों की रक्षा भी नहीं की। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने ***यू. पी. राज्य बनाम रजित सिंह में प्रतिवेदित 2022 (2) पी. एल. जे. आर. एस. सी., 196*** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपराधी अधिकारी को दस्तावेजों की आपूर्ति न करने के आधार पर विभागीय कार्यवाही को रद्द कर दिया है।***2000 (3) पी. एल. जे. आर. 64 में प्रतिवेदित चंद्रदीप सिन्हा बनाम बिहार राज्य*** के मामला में दिया गया दूसरा निर्णय जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया जिसमें इस माननीय न्यायालय ने इस आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को दरकिनार कर दिया है कि दण्डनीय आदेश, जिसमे बुद्धि के

प्रयोग का खुलासा नहीं किया गया है, न तो अपीलार्थी के बचाव पक्ष द्वारा विचारण किया गया है, न हीं अपीलार्थी द्वारा स्थापित याचिका को अस्वीकृत करने का कारण दर्ज किए गए हैं एवं उन्हें एक युक्तियुक्त आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

8. दूसरी ओर बैंक के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील याचिकाकर्ता के मामले का जोरदार विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि अंतिम आदेश पारित होने से पहले प्रत्येक नियम का पालन किया गया है। अपने तर्क के समर्थन में, वकील प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता को शुरू में 22.09.2012 में स्केल-II अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया गया। वर्ष 2013 में, उन्हें बिहारशरीफ, कैमूर में क्षेत्रीय कार्यालय, भभुआ में स्थानांतरित कर दिया गया था और उन्हें लोदीपुर बिहारशरीफ क्षेत्रीय कार्यालय, भभुआ में अपनी पोस्टिंग के दौरान घोर कदाचार में शामिल पाया गया था, जिसके कारण 33 आरोपों के साथ आरोप पत्र 29.03.2018 को निर्गत किया गया, जिसके बाद एक पूरक आरोप पत्र,दिनांकित 23.05.2018, जिसमे एक आरोप था, निर्गत किया गया। उक्त आरोप पत्रों में, वह कई गंभीर अनियमितताओं और अवैधताओं में शामिल पाया गया था, जिसमें ऋणों की मंजूरी और वितरण में नियमों का गंभीर उल्लंघन और विभिन्न अन्य अनियमितताएं शामिल थीं, अर्थात बैंक के निर्धारित नियमों, निर्देशों और मानदंडों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए लापरवाह वित्तपोषण, फेसबुक पर आपत्तिजनक शब्द लगाना, बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित, अनाधिकृत महिला को हस्ताक्षर के स्कैनिंग की अनुमति इत्यदि आरोप पत्र एवं पूरक आरोप पत्र में पूर्व में ही वर्णित हैं| आरोप पत्र जमा करने पर, याचिकाकर्ता ने अपना जवाब 07.04.2018 को दाखिल किया, लेकिन वह संतोषजनक नहीं पाया गया और इस प्रकार अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए 13.04.2018 के आदेश के माध्यम से उनके खिलाफ एक विभागीय जांच का गठन किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को 22.05.2018 को निलंबित कर दिया

गया। मूल आदेश को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई जिसने सजा आदेश की पुष्टि की।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने जांच कार्यवाही में विधिवत भाग लिया है, प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया था, और अपराधी अधिकारी और प्रस्तुत करने वाले अधिकारी की उपस्थिति में दोनों पक्षों के गवाहों से भी पूछताछ की गई थी। जाँच के समापन पर, जाँच अधिकारी ने अपनी दिनांकित 21.09.2018 की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें जाँच अधिकारी ने 25 आरोप साबित पाए, 7 आरोप आंशिक रूप से साबित हुए, और 2 आरोप संख्या 3 और 6 जो साबित नहीं पाए गए। दूसरा कारण बताने के लिए उन्हें जांच रिपोर्ट की प्रति दी गई है। याचिकाकर्ता ने 31.10.2018 के उक्त पत्र के जवाब में जवाब दिया, जिस पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया था और उसके बाद, अंतिम आदेश 31.12.2018 (रिट याचिका के अनुलग्नक-11)को पारित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ सेवा की बर्खास्तगी और उसके भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता और उसके निलंबन की अवधि को कर्तव्य पर नहीं गिना जाएगा और इसलिए वह किसी भी वेतन और किसी भी भत्ते का हकदार नहीं होगा, सिवाय निर्वाह भत्ते के जो उसे उसकी निलंबन अवधि के दौरान दिया गया था। याचिकाकर्ता ने बाद में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष इसे चुनौती दी और अपीलीय प्राधिकरण ने भी उक्त आदेश की पुष्टि की है।

10. बैंक के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि शाखा प्रबंधक, लोदीपुर, बिहार शरीफ, नालंदा के रूप में अपनी पोस्टिंग के दौरान 27.07.2013 से 15.05.2016 तक निर्धारित नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए लापरवाही से वित्तपोषण के बारे में और उनके पद का उल्लंघन जिसमें रु.69,12,516.56 को दांव पर लगाते हुए केवल दो महीनों में 332 ऋण खातों की मंजूरी और वितरण और नकली खाते में रु. 3,10,143.41 की राशि का

धोखाधड़ी से लेनदेन भी शामिल था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि यह इन कारणों से है और चूंकि उसके खिलाफ अधिकांश आरोप साबित हुए थे, इसलिए उसे दंडित किया गया था।

11. याचिकाकर्ता के बचाव के जवाब में कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाब पर विचार नहीं किया गया था और न ही दस्तावेजों की आपूर्ति की गई है, बैंक के विद्वान वरिष्ठ वकीलप्रस्तुत करता है कि इस संबंध में, बैंक का रुख यह है कि याचिकाकर्ता ने विशिष्ट दस्तावेज का विवरण प्रस्तुत नहीं किया, तब भी बैंक ने याचिकाकर्ता को संभावित दस्तावेज प्रदान किए हैं और साथ ही प्रदर्श के समय, सभी दस्तावेजों का याचिकाकर्ता और बचाव पक्ष के प्रतिनिधि द्वारा अध्ययन किया गया था, जो दोनों तिथियों की जांच कार्यवाही में विधिवत दर्ज किए गए थे और इसलिए, जवाब के विभिन्न पैराग्राफ में लगाए गए दस्तावेजों की आपूर्ति न करना गलत और आधारहीन है।

12. प्रस्तुतियों के जवाब में, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि पैराग्राफ नं14 याचिकाकर्ता की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा विशिष्ट इनकार किया गया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता को आरोपों का बचाव करने के लिए केवल एक दस्तावेज प्रदान किया गया है जो पर्याप्त नहीं हैं। उक्त पैराग्राफ नं. 14 में इस बात का स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है कि याचिकाकर्ता ने विशिष्ट दस्तावेजों का विवरण जमा नहीं किया, बल्कि वास्तव में, जिन विशिष्ट दस्तावेजों की मांग की गई है, वे रिकॉर्ड में हैं, जैसा कि विभागीय जांच पुस्तक के पृष्ठ 12 के पठन से स्पष्ट है।

13. प्रस्तुतियों के आलोक में और पक्षों को सुनने पर, यह न्यायालय विशेष रूप से मूल न्यायालय और अपीलीय न्यायालय के अवलोकन के अवलोकन पर,यह स्पष्टतः स्पष्ट है कि बैंक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है जैसा कि मूल और अपीलीय आदेश दोनों में उल्लेख किया गया है। इस न्यायालय के लिए यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को

29.03.2018 को एक आरोप ज्ञापन दिया गया है जिसमें दिनांकित 23.05.2018 के पूरक आरोप ज्ञापन के साथ 33 आरोप हैं और लगाए गए आरोप का बचाव करने के लिए, याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से 01.06.2018 (रिट याचिका के अनुलग्नक-5) को जांच अधिकारी से विशिष्ट दस्तावेजों की मांग की है जिसमें विशिष्ट दस्तावेजों की मांग आरोपों का बचाव करने के उद्देश्य से की गई है। इस संबंध में एक अनुस्मारक 18.07.2018 को भी जारी किया गया है, लेकिन यह रिकॉर्ड में नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए वे विशिष्ट दस्तावेज उसे प्रदान किए गए हैं या नहीं, बल्कि बैंक ने जवाब दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई विशिष्ट दस्तावेज नहीं मांगा गया है जो बिल्कुल गलत है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के जवाब से यह भी पता चलता है कि यह इनकार याचिकाकर्ता द्वारा किया गया है, कि विशिष्ट दस्तावेज उसके द्वारा नहीं मांगे गए थे।

14. यह सेवा न्यायशास्त्र के मूलभूत बिंदुओं में से एक है कि अपराधी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यहाँ वर्तमान मामले में, अदालत को ध्यान में रखते हुए, अपराधी ने कथित आरोपों से अपना बचाव करने के लिए दस्तावेजों की निरंतर मांग की थी, लेकिन उन दस्तावेजों को प्रदान नहीं किया गया है, इसके बजाय बैंक ने केवल एक दस्तावेज प्रदान किया है और इस न्यायालय के समक्ष हलफनामा दायर करके याचिका दायर की है कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई विशिष्ट दस्तावेज की मांग नहीं की गई थी, जो कि अनुलग्नक-3 के साथ-साथ जवाबी हलफनामे के प्रत्युत्तर के पैराग्राफ 14 के अवलोकन पर स्पष्ट रूप से गलत है। मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनामरजित सिंह में जो 2022 (2) पी. एल. जे. आर. (एस. सी.) 196***में, प्रतिवेदित हुआ, के निर्णय के आलोक में प्रासंगिक कंडिका 8-10 निम्नानुसार उद्धृत किया गया हैः-

"(8.) न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि जांच की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ थी क्योंकि आरोप पत्र में उल्लिखित दस्तावेज अपराधी अधिकारी को बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे मामले में जहां यह पाया जाता है कि जांच ठीक से नहीं की गई है और/या यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, उस मामले में, न्यायालय कर्मचारी को इस तरह से बहाल नहीं कर सकता है और मामले को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के चरण से जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए जांच अधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकार को जाँच में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के उल्लंघन के चरण से आगे बढ़ने के वास्ते नोट किया गया है एवं आरोप पत्र में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज,प्रस्तुत करने के बाद जांच को आगे बढ़ाना है। जो कथित रूप से तत्काल मामले में अपराधी अधिकारी को नहीं दिए गए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य बनाम ए. मासिलामणि, (2013) 6 एस. सी. सी. 530, के अध्यक्ष के मामले में, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों की ओर से भी सेवा में लगाया गया था, पैराग्राफ 16 में निम्नानुसार देखा गया हैः-

"16.यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि एक बार अदालत सजा के आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर देती है कि जांच ठीक से नहीं की गई

थी, तो अदालत कर्मचारी को पुनः बहाल नहीं कर सकती है। उसे संबंधित मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकरण को भेजना चाहिए ताकि वह इस बिंदु से जांच कर सके कि वह दूषित हो गया था, और उस को समाप्त कर सके। (ई. सी. आई. एल. बनाम बी. करुणाकर [(1993) 4 एस. सी. सी. 727], हिरन मयी भट्टाचार्य बनाम एस. एम. स्कूल फॉर गर्ल्स [(2002) 10 एस. सी. सी. 293], यू. पी. स्टेट एस. पी. जी. कं. लिमिटेड बनाम आर. एस. पांडे [(2005) 8 एस. सी. सी. 264] और भारत संघ बनाम वाई. एस. साधु [(2008) 12 एस. सी. सी. 30] के माध्यम से।"

(9.) उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से, यह प्रतीत होता है कि जब उपरोक्त प्रस्तुतिकरण और उपरोक्त निर्णय को सेवा में लगाया गया था, तो उच्च न्यायालय ने इस आधार पर इस पर विचार नहीं किया कि उसी घटना के संबंध में शामिल अन्य अधिकारी दोषमुक्त हैं और/या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ए. मासिलामणि (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हमारी राय है कि न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय को मामले को जिस चरण से यह दूषित हो गया था, अनुशासनात्मक प्राधिकरण को जांच करने के लिए भेज देना चाहिए था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि वह जिस

स्तर से दूषित था, यानी आरोप पत्र जारी होने के बाद से अस्थिर है एवं आगे की कार्यवाही की अनुमति नहीं देता है।

(10.) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को निरस्त एवं दरकिनार करते हुए, और समानता के सिद्धांत को लागू करके अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए दंड के आदेश को रद्द एवं दरकिनार कर दिया जाता है। हालाँकि, चूंकि जांच दूषित पाई गई है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन पाया गया है, जितना कि यह आरोप लगाया गया है कि आरोप पत्र में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज अपराधी अधिकारी को प्रदान नहीं किए गए थे, इसलिए हम मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकरण को भेजते हैं ताकि वह उस स्तर से नई जांच कर सके जब से यह दूषित हो गया था, यानी आरोप पत्र जारी होने के बाद और आरोप पत्र में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद और प्राकृतिक न्याय के उचित सिद्धांतों का पालन करने के बाद जांच के साथ आगे बढ़ सके। उपरोक्त प्रक्रिया आज से छह महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

15. इस न्यायालय को यह प्रतित होता है कि अपराधी दस्तावेजों का हकदार है ताकि वह अपने आरोपों का बचाव कर सके। यहाँ वर्तमान मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि इसमें कमी है और केवल इस आधार पर कि विभागीय कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय

का घोर उल्लंघन हुआ है, यह न्यायालय दिनांकित 31.12.2018 (अनुलग्नक-11) के दंड आदेश और दिनांकित 20.09.2019 (अनुलग्नक-12) के आदेश को रद्द कर देता है। प्रत्यर्थी-बैंक अनुलग्नक-5 में आरोपित याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान करने के बाद ही विभागीय कार्यवाही जारी रखने के लिए स्वतंत्र है और छह महीने के भीतर कार्यवाही को समाप्त करेगा।

16. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकृत है।

(डॉ. अंशुमन,. न्यायाधीश)

अश्विनी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।